झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–08 / ज०सं०(नि०) बाह्य–09–10 / 2014.............................. / राँची, दिनांक –

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रविशंकर प्रसाद, ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री रवि शंकर प्रसाद के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम– 43B के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री रविशंकर प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से०, (से०नि०) टी०ए० डिविजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए प्रबंधक (कार्मिक), झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि० द्वारा नियुक्त किये गये पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव / विभागीय मंत्री / मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ श्री शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से०, (से०नि०) टी०ए० डिविजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / प्रबंधक (कार्मिक), झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची द्वारा नियुक्त पदाधिकारी / श्री रविशंकर प्रसाद, से०नि०, कार्यपालक अभियंता, फ्लैट नं०–GD ब्लॉक–D, रामदेव बिहार सोसाईटी डोरण्डा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –.. /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से०, (से०नि०) टी०ए० डिविजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची /प्रबंधक (कार्मिक), झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची /श्री रविशंकर प्रसाद, से०नि०, कार्यपालक अभियंता, फ्लैट नं०–GD ब्लॉक–D, रामदेव बिहार सोसाईटी डोरण्डा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखि बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –.. /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि : प्रबंधक (कार्मिक), पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विभागीय कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने के लिए अपने स्तर से किसी पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –....5482.... /राँची, दिनांक– 05-12-16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 5.12.16
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।